

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए सी पी / 1990-11/अलेसे-11/5538-76

दिनांक:- 27.02.2012

कार्यालय आदेश संख्या 265/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 511(7)एफडी/सूत्स/2008/दिनांक 12.9.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.08 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की सजकीय सेवा निरुत्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए सी पी पी बी-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4200 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए सी पी स्वीकृति दि०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	भगवान सहाय बाकोलिया	10-07-1968	03-01-1994	03-01-2012	
2.	मालचन्द मीणा	01-07-1967	03-01-1994	03-01-2012	
3.	बत्ती लाल मीणा	01-07-1962	25-08-1993	25-08-2011	
4.	दयानन्द सोडा	20-06-1964	06-08-1993	06-08-2011	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.08 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए सी पी स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए सी पी इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए सी पी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.08 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जाये। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित लेखाकारों ए सी पी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-बैंड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए सी पी / 1990-11/अलेसे-11/5538-76

दिनांक:- 27.02.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)